

कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न छूटे : संभागायुक्त तिवारी

नवभारत न्यूज
बैतूल, 26 दिसंबर.
संभागायुक्त नरमदापुरम एवं रोल
ऑब्जर्वर कृष्ण गोपाल तिवारी
ने शुरुवार को कलेक्ट्रेट बैतूल
में मतदाता सूची के विशेष गहन
पुनरीक्षण 2026 को लेकर
जनप्रतिनिधियों एवं
अधिकारियों के साथ विस्तृत
समीक्षा बैठक की।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026
की समीक्षा
बैठक में जनप्रतिनिधिगण भी
रहे मौजूद

बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री
जनजातीय कार्य दुर्गादास उर्डेके,
विधायक भैसदेही महेंद्र सिंह
चौहान, विधायक मुलताई
चंद्रशेखर देशमुख, विधायक
आमला डॉ. योगेश पंडगे, विधायक

घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उर्डेके,
जिला अध्यक्ष भाजपा सुधाकर
पवार, जिला निर्वाचन अधिकारी
एवं कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार
सूर्यवंशी सहित प्रशासनिक
अधिकारी तथा भारतीय जनता
पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम
आदमी पार्टी और बहुजन
समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि
उपस्थित रहे। संभागायुक्त श्री
तिवारी ने निर्देश दिए कि प्रारूप
मतदाता सूची में जिन मतदाताओं
की मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें 23
दिसंबर से 14 फरवरी के बीच
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी/सहायक निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा
नोटिस जारी कर गंभीरता से
निराकरण किया जाए। बीएलओ
द्वारा दो प्रतियों में नोटिस तामील
कराते हुए 7 दिवस में निर्धारित 13
प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर
सत्यापन कर नाम जोड़ने/हटाने की



कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। नो
मैप मतदाताओं की सुनवाई की
फोटो अपलोड कर दो प्रतियों में
आदेश जारी करने के निर्देश भी
दिए गए। उन्होंने कहा कि
आवश्यक दस्तावेजों का व्यापक
प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि
कोई भी पात्र मतदाता सूची से
वंचित न रहे। ईआरओ/ईआरओ
के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील
जिला मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.,
भोपाल के समक्ष की जा सकेगी।

ईआरओ/ईआरओ कार्यालयों
तथा सभी 1758 मतदान केंद्रों पर
उपलब्ध है। 23 दिसम्बर 2025 से
22 जनवरी 2026 तक आम
नागरिक नाम जोड़ने, प्रविष्टि
संशोधन या विलोपन हेतु दावे-
आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन तथा
ऑफलाइन आवेदन बीएलओ के
माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
राजनीतिक दलों से सहयोग
की अपील : मान्यता प्राप्त
राजनीतिक दलों से सुझाव
आमंत्रित किए गए और उनकी
समस्याओं पर भी चर्चा की गई।
रोल ऑब्जर्वर ने कहा कि सभी दावे
आपत्ति और निराकरण चरण में
सक्रिय सहयोग करें। प्रारूप-6, 7
और 8 के माध्यम से पात्र
मतदाताओं के नाम जोड़ने/ हटाने/
संशोधन में नागरिकों को सहयोग
देने तथा प्रारूप-6 एवं 8 के साथ
घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत

कराने का आग्रह किया गया। बैठक
में रोल ऑब्जर्वर ने सभी दलों से
सुझाव भी लिए और नए मतदान
केंद्रों पर बीएलए शीघ्र नियुक्त
करने का अनुरोध किया। निर्वाचन
आयोग द्वारा दस्तावेजों की एक
संकेतिक सूची भी जारी की गई है,
जिनमें केंद्र अधिकाधिक सरकारी या
सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी
पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश
सहित अन्य प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

6 जिले में मतदाताओं की स्थिति

प्रारूप प्रकाशन में कुल 11,95,558 मतदाता शामिल हैं, जिनमें 6,09,515 पुरुष, 5,86,027 महिला तथा 16 अन्य मतदाता हैं। 6,995 मतदाता नो-मैपिंग में विहित हुए हैं। वहीं 62,737 मतदाता (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, रिपीट) को विहित कर प्रारूप सूची में शामिल नहीं किया गया है। इनकी सुविधा ग्राम पंचायत/नगर निकाय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर तथा सीईओ वेबसाइट एवं एनआईसी बैतूल साइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को होगा।

नो मैप मतदाताओं के लिए आवश्यक दस्तावेज

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत ऐसे मतदाता जिनका नाम पिछले एसआईआर में उपलब्ध नहीं है, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है अथवा जिनका विवरण डेटाबेस से मेल नहीं खाता है, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाताओं को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं से जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के आधार पर दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि किसी मतदाता का जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है, तो उन्हें स्वयं की जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। वहीं 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं के साथ-साथ पिता या माता के जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 02 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं, पिता एवं माता के जन्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि माता-पिता से से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट एवं वीजा की प्रतियां भी देना अनिवार्य होगी।

एक नजर में

भौरा के स्कूलों में वीर बाल दिवस मनाया गया

भौरा। वीर बाल दिवस बालक हायर सेकेंडरी स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में वीर साहब जोरावर और फतेह सिंह की शहादत को याद कर उनकी स्मृति में उनके संस्मरण और उनकी वीरता और शहादत के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने धर्म की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए मुगल शासकों के समक्ष अपना बलिदान दे दिया। इस स्मृति को याद कर और उनकी वीरता को छात्र-छात्राओं के समक्ष रखकर धर्म निष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल भौरा में मनाया गया। शिक्षक शिक्षिका गण उपस्थित रहे हैं। नमितामहेश्वरी पंजज मालवीया एस एन बारसे राजेश्वरी दुबे रीना उर्डेके विवेक गौतम लता परते सहित अन्य उपस्थित रहे।

दो बाइको में भिड़ंत, 2 घायल

मुलताई। नेशनल हाइवे बैतूल नागपुर रोड पर परमंडल हवेली के पास शुरुवार दोपहर करीब 12 बजे के दो बाइकों में भिड़ंत हो जाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें नगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि? निवासी शक्ति पिता नगीना सिंह बैतूल से मुलताई की ओर आ रहा था, वहीं झिप्या निवासी हेमराज पिता शिवजी रांग साइड से बैतूल की ओर जा रहा था इस दौरान दोनों की बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। जिसमें दोनों घायल हो गए। जिन्हें एम्बुलेंस से उपचार के लिए नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया प्राथमिक उपचार के बाद भी झिप्या निवासी हेमराज की हालत गंभीर होने से जिला चिकित्सालय बैतूल रेफर किया गया है।

देव भिलाई स्कूल की टीम ने जीती प्रतियोगिता

मुलताई। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शासकीय माध्यमिक शाला देवभिलाई की छात्र-छात्राओं ने पिट्ट प्रतियोगिता में भाग लिया था। जिसमें छात्रों की टीम उपविजेता एवं छात्राओं की टीम जिले प्रथम स्थान प्राप्त कर पिट्ट प्रतियोगिता में विजेता रही। टीम की कप्तान मुक्ता पाटील, वैष्णवी गाटे, उपासना गाटे, विधि बोहरपी, आंचल उर्डेके, भाग्य श्री, श्रुति पाटील ने हिस्सा लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अनियमितता आदेश 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को ठेका कंपनी ने जमा की एसडी एवं बीजी

आरोप : प्लांट में ट्रांसपोर्टर एवं अधिकारियों की मिलीभगत

सारनी। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में कोल ट्रांसपोर्टर एवं अधिकारियों के बीच मिलीभगत होने से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

वित्तीय अनियमितताएं हुई उजागर

एसडी एवं बैंक गारंटी वापसी के बाद दिया एक्सटेंशन
इतना ही नहीं कोल ट्रांसपोर्टर को सिस्कोरिटी डिपॉजिट एवं बैंक गारंटी वापसी के बावजूद भी एक्सटेंशन देने का मामला जोर पकड़ रहा है। मंडल सूत्रों ने बताया कि सीएचपी विभाग ने सलूजा



कंपनी को वर्क ऑर्डर क्रमांक 08/004 /39008/210049/646/ दिनांक 23/06/2022 के तहत तवा टू खदान से एक लाख 80 हजार मेट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टेशन का ठेका दिया था। उक्त कंपनी ने दो साल में कार्य को पूरा कर दिया। टेंडर की शर्तों एवं

अनुबंध को पूरा करने के बाद सलूजा एंड कंपनी ने सिस्कोरिटी डिपॉजिट एवं बैंक गारंटी वापसी ने पत्र क्रमांक S05/1800/ दिनांक 31 जनवरी 2025 के तहत सलूजा कंपनी का सिस्कोरिटी डिपॉजिट एवं बैंक गारंटी 03/02/2025 को वापसी कर दी। सूत्रों ने कहा

कि सलूजा कंपनी कि सभी औपचारिकता पूरी होने के बाद किस आधार पर सलूजा कंपनी को कार्य का एक्सटेंशन दिया गया। बताया जाता है कि सतपुड़ा पावर प्लांट के अधिकारियों ने आठ माह बाद सलूजा कंपनी को 01 अक्टूबर 2025 को ई मेल भेजकर 50 प्रतिशत अतिरिक्त एवं 180 दिन तवा टू खदान से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के पूरा किया। अगले दिन 02 अक्टूबर 2025 को कार्य के आदेश जारी भी कर दिया। सवाल यह उठता है कि बगैर एमडी एवं बैंक गारंटी के वर्क ऑर्डर कैसे दे दिया। सूत्रों ने कहा कि तवा टू खदान से करोड़ों रुपए की ट्रांसपोर्टिंग का कार्य बगैर सिस्कोरिटी डिपॉजिट एवं बैंक

गारंटी के दिये जाने कि गलती महसूस होने पर 31 अक्टूबर 2025 को सलूजा कंपनी को मौखिक आदेश देकर तत्काल एसडी एवं बीजी जमा करने को कहा गया। सलूजा कंपनी ने एसडी एवं बीजी को जमा कर औपचारिकता पूरी की है। सवाल यह उठता है कि भारी वित्तीय अनियमितताएं के लिए कौन

पावर प्लांट को कोल ट्रांसपोर्टिंग एवं कोल वाहारी से कोयला आने के संबंध में जानकारी लेता है। मुझे इस बारे पता नहीं है।
- दीपी मिश्रा, पीआरओ, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारनी

गारंटी के दिये जाने कि गलती महसूस होने पर 31 अक्टूबर 2025 को सलूजा कंपनी को मौखिक आदेश देकर तत्काल एसडी एवं बीजी जमा करने को कहा गया। सलूजा कंपनी ने एसडी एवं बीजी को जमा कर औपचारिकता पूरी की है। सवाल यह उठता है कि भारी वित्तीय अनियमितताएं के लिए कौन

